उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-12/2018/1203/60-1-2018

लखनऊः दिनांक 26 जुलाई, 2018

कार्यालय-आदेश

जिला अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद के सदस्य द्वारा बरती जा रही कथित अनियमितताओं के संबंध में जनपद स्तर पर मजिस्ट्रेट जॉच सम्पादित करायी गयी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या-3700, दिनांक 18.04.2018 द्वारा उक्त शिकायतों के संबंध में प्रस्तुत जॉच आख्या जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या-268-70/प्रोबे0/बा0क0स0-अनियमितता/जॉच/2018-19, दिनांक 01.05.2018 के साथ संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

दिनांक 12.04.2018 को लावारिस हालत में मोहन नगर, बस स्टैण्ड के पास मिली नाबालिग बच्ची के संबंध में बाल कल्याण समिति की सदस्या श्रीमती शालिनी सिंह द्वारा मीडिया को बच्ची के साथ बलात्कार की गलत जानकारी दिये जाने आदि के संबंध में श्रीमती शालिनी सिंह सदस्य, बाल कल्याण समिति, सुश्री प्रियांजलि मिश्रा, केस वर्कर/परामर्शदाता का स्टाप सेन्टर/आशा ज्योति केन्द्र गाजियाबाद, श्रीमती सृष्टि त्यागी, परामर्शदाता, चाईल्ड लाईन, गाजियाबाद व श्री आरिफ खान, समन्वयक, चाईल्ड लाईन, गाजियाबाद से उपरोक्त के संबंध में वार्ता कर उनका लिखित कथन प्राप्त किया गया।

श्रीमती शालिनी सिंह द्वारा अपने लिखित कथन में अंकित किया है कि दिनांक 12.04.2018 प्रेरणा सेवा संस्थान के श्री तरूण गुप्ता का फोन चाईल्ड लाईन के समन्वयक मो0 आरिफ खान के पास आया जिसमें चाईल्ड लाईन के समन्वयक द्वारा बात करने पर पता चला कि यहॉ एक बालिका लावारिस हालत में मिली है, जो कि अपना नाम मन्जू गौड़ बता रही है और यह भी बता रही कि उसकी माता का देहान्त हो चुका है व उसके साथ एक अंजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है। जब इस केस पर चाईल्ड लाईन की टीम पहुची तो उन्होने देखा कि वह बालिका चारों तरफ लोगों से घिरी थी व जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे। जब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चाईल्ड लाईन टीम से मीडिया के लोगों ने बात करना चाहा तो टीम उनकी बात को अनसुना करके बालिका को थाना साहिबाबाद लेकर चली गई। वहॉ से बालिका की जी0डी0 व एम0एम0जी0 अस्पताल से मेडिकल कराया गया। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालिका को ग्रेस केयर होम में छोड़ा गया। दिनांक 14.04.2018 को चाईल्ड लाईन परामर्शदाता द्वारा काउन्सलिंग की गयी तो उसमें बालिका की बातों में बदलाव पाया गया तथा बालिका में असमंजस की स्थिति पाई गई।

श्रीमती शालिनी सिंह, सदस्य, बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण में यह अभिकथन किया गया है कि इस प्रकरण में बाल कल्याण समिति या चाईल्ड लाईन के द्वारा कहीं भी यह दावा नहीं किया गया कि बालिका के साथ रेप हुआ है। मीडिया में या प्रचार माध्यम से यह कथन कहीं नहीं किया गया कि बाल कल्याण समिति व चाईल्ड लाईन इस बात की पुष्टि करते है कि बालिका के साथ रेप हुआ है। बल्कि शिकायत मिलने एवं जॉच होने का उल्लेख किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा प्रकरण की प्रेषित जॉच एवं उपरोक्त समस्त घटनाक्रम व कथनों का गहनता से परिशीलन करने के उपरान्त प्रथम दृष्टया श्रीमती शालिनी सिंह सदस्य, बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद द्वारा ही बिना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाये मीडिया को अपने स्तर से ही बालिका के बलात्कार होने संबंधी सूचना देना परिलक्षित होता है। उक्त के अतिरिक्त डा0 मधु रानी व श्रीमती वन्दना मित्तल सदस्या बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद द्वारा उनकी राय की उपेक्षा किये जाने का उल्लेख किया गया है जिससे श्रीमती शालिनी सिंह द्वारा अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध व सामन्जस्य न रखना पुष्ट होता है। उक्त के अतिरिक्त श्रीमती शालिनी सिंह के व्यवहार को अवमानवीय और मनमानी पूर्ण बताया गया है। प्रकरणगत जॉच से स्पष्ट है कि श्रीमती शालिनी सिंह व उनकी टीम द्वारा बाल कल्याण समिति के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है एवं न ही नियमों/उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 (7) (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त विधि विरूद्ध कार्यो एवं अन्य अनियमितताओं के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद की सदस्य श्रीमती शालिनी सिंह, गाजियाबाद द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 (7) (1) के दृष्टिगत उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-12/2018/1203(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
4- संबंधित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
5- जिला परिवीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
6- संबंधित सदस्य, बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।